रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1996/अग्रहायण 1, 1918
No. 396] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1996/AGRAHANAYA 1, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1996

सा.का.नि. 538 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (ङ) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सामान्य नाम	रासायनिक नाम
ऐक्रिनाथ्रिन	(एस) ∝ साइनो-3-फेनोक्सी बेन्जिल (जैड)-(आई आर, 3 एस)-2, 2-डाइमैथिल-3-(2, 2-2-ट्राइफ्लुओरो-1-ट्राइफ्लुओरोमेथिल एथाक्सी) कार्बोनिल (वाइनिल) साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलैट ।
साइनोफास	0-4-साइनोफिनाएल 0, 0-डाइमेथिल फास्फ्रोथियो-एट; 4-(डिमिथाक्सि फासफिनो-थियालाक्सी) बेन्जोनाइट्राइल ।
फ्लूक्विनकोनाजोल	3-(2,4-डाइक्लोरोफिनाएल)-6-फ्लोरो-2 (1 एच-1, 2,4-ट्राइएजोल-1-वाई एल) क्विनैजोलिन-4-(3 एच)-वन ।
ट्रान्सफ्लूथ्रिन	2,3,5,6-टेट्राफ्लोरोवेन्लाइल (आई आर, 3 एस) -3-(2-2-डाइकलोरो वाइनिल) 2,2-डाइमैथिल-साइक्लोप्रोपैन कार्बोक्सिलैट ।
ट्राइफ्लूमिजोल	(ई)-4-क्लोरो-∝,∝,∝-ट्राइफ्लुओरो-एन-1-इमाइडजोल-1 वाई एल-2-प्रोपाक्सी इथिलिडीन) -0-टालडीन ।
टेबुफेनोजाइड	एन-टर्ट-बुटाइल-एन-(4-इथिल बेन्जायल)-3,5-डाइमेथिल बेन्जोहाइड्राजाइड ।

[सं. 19-1/93-पी.पी.-I]
नीला गंगाधरन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : —कीटनाशी अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं जो कि भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित है :—

1. सा.का.नि.सं. 9(ङ) दिनांक 9-1-75
2. सा.का.नि.सं. 823(ङ) दिनांक 28-9-76
3. सा.का.नि.सं. 200(ङ) दिनांक 29-3-78
4. सा.का.नि.सं. 574(ङ) दिनांक 6-10-79
5. सा.का.नि.सं. 32 (ङ) दिनांक 12-2-80
6. सा.का.नि.सं. 500(ङ) दिनांक 18-6-95
7. सा.का.नि.सं. 839(ङ) दिनांक 14-11-95
8. सा.का.नि.सं. 31(ङ) दिनांक 15-1-87
9. सा.का.नि.सं. 730(ङ) दिनांक 30-10-95
10. सा.का.नि.सं. 10(ङ) दिनांक 3-1-96

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1996

GSR 538 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substances in the Schedule to the said Act, namely :—

Common Name	Chemical Name
Acrinathrin	(S)-∝ cyno-3-phenoxy benzyl (z)-(IR,3S)—2, 2-dimethyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethoxy carbonyl) vinyl] cyclopropane carboxylate.
Cyanophos	0-4-cyanophenyl 0, 0-dimethyl phosphorothioate; 4-(dimethoxyphosphino-thioyloxy) benzonitrile.
Fluquinconazole	3-(2,4-dichloro phenyl)-6-fluoro-2 (III-1,2,4-triazol-1-yl) quinazolin-4-(3H)-one.
Transfluthrin	2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (IR,3S)-3-(2, 2-dichloro vinyl)-2, 2-dimethyl-cyclopropane carboxylate.
Triflumizole	(E)-4-Choloro-∝,∝,∝-trifluoro-N-(1-imidezol-1-yl-2-propoxy ethylidene)-0-toluidine.
Tebufenozide	N-tert-butyl-N-(4-ethyl benzoyl)-3, 5-dimethyl benzohydrazide.

[No. 19-1/93-PP.I]

NEELA GANGADHARAN, Jt. Secy.

Foot Note :—The Schedule to the Insecticides Act has been amended vide the following notifications published in the Gazette of India, extraordinary.

1. G.S.R. 9(E) dated 9-1-75
2. G.S.R. 823(E) dated 28-9-76
3. G.S.R. 200(E) dated 29-3-78
4. G.S.R. 574(E) dated 6-10-79
5. G.S.R. 32(E) dated 12-2-80
6. G.S.R. 500(E) dated 18-6-95
7. G.S.R. 839(E) dated 14-11-95
8. G.S.R. 31(E) dated 15-1-87
9. G.S.R. 730(E) dated 30-10-95
10. G.S.R. 10(E) dated 3-1-96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996